ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या–01,सैक्टर–नॉलेज पार्क–4, ग्रेटर नोएडा सिटी,
गौतम बुद्व नगर

पत्रांकः नियो0 / 2019 / जेड–218 / 107
दिनांक 07/ 01 / 2019

सार्वजनिक सूचना

प्राधिकरण में विभिन्न भू–उपयोगों में आवंटित भूखण्डों के आवंटियों को भवन निर्माण के लिये मानचित्र स्वीकृति की व्यवस्था को सरलीकृत तथा पारदर्शी रूप से लागू करने के उदेद्श्य से निम्नानुसार व्यवस्था लागू की गई हैः–

- प्राधिकरण द्वारा विभिन्न भू–उपयोगो में आवंटित भूखण्ड़ों के भवन निर्माण के लिए ऑन–लाईन Submission तथा Approval की प्रकिया प्राधिकरण में मई 2016 से लागू है।

- औधोगिक भू–उपयोग में आवंटित भूखण्डों के अन्तर्गत मई 2018 से 450 वर्ग मीटर तक के भूखण्डों के लिऐ ऑन–लाईन स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।

- प्राधिकरण द्वारा जनहित में विभिन्न भू–उपयोगों में आवंटित यथा आवासीय, संस्थागत, आई0टी0, वाणिज्यिक, संस्थागत हरित, रिक्रेशनल ग्रीन व ग्रुप हाऊसिंग आदि सम्पत्तियों के स्वीकृत मानचित्रों के आवेदन प्रेस विज्ञप्ति की दिनांक से 15 दिन तक ही Manual लिये जायेगें।

- इसके उपरान्त सभी मानचित्रों को ऑन–लाईन के माध्यम से ही प्राप्त किया जायेगा, जिसके लिए प्राधिकरण की Website:-WWW.greaternoidaauthority.in पर "Online Map Submission" पर Click कर Portal के माध्यम से मानचित्रों एवं अन्य प्रपत्रों को Upload कर वांछित Plan Processing Fees, व भवन नियमावली समय समय पर जारी कार्यालय आदेशानुसार को Online भुगतान कर प्राधिकरण को आवश्यक प्रपत्रों के साथ Submit किया जा सकता है। मानचित्रों को ऑन–लाईन के माध्यम से Submit के उपरान्त वास्तुविद् एवं आवंटी को SMS के माध्यम से भी सूचित किया जाऐगा।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी